राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–II/4444–4452 दिनांक:–29 मई 2014

आदेश संख्या

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2011–12) की सिफारिशों के आधार पर श्री राजेश नरूका, कनि0 लेखाकार (मेरिट संख्या 884/86, लिंक नं. 1598) जन्मतिथि 06 जुलाई 1956, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय सन्तान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए।

सन्तान सम्बन्धी सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर विभागीय पत्रांक 254–56 दिनांक 26.06.2013 द्वारा श्री राजेश नरूका को सीसीए नियम 17 के आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आरोप पत्र के क्रम में श्री नरूका द्वारा प्रस्तुत उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 1(सी)1569/जांच/2013 /806–809 दिनांक 05.12.2013 द्वारा प्रकरण को बिना किसी दण्ड दिये समाप्त किया गया। अब श्री नरूका द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला 9300–24800 (पे बैण्ड– 2), ग्रेड पे– 4200/–में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है–

श्री राजेश नरूका, कनि0 लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या पं.2 (15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–II/4444–4452 दिनांक:–29 मई 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड।
2. कोषाधिकारी झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया सम्बन्धित कनि0 लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करवाकर विभाग को सूचित करावें।
3. अति0 निदेशक, कार्मिक–II, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनि0 लेखाकार के कम्प्यूटर लिंक नम्बर जांच कर निजी पत्रावलियां पूर्ण करवाकर भिजवाने का श्रम करावें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री राजेश नरूका, कनि0 लेखाकार (मेरिट संख्या 884/86, लिंक नं. 1598), कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड को निर्देशित किया जाता है कि वे लेखाकार पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/गोपनीय अनुभाग।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. निजी पंजिका/आदेश पंजिका।

(डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)